



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001



Shimla, Himachal Pradesh – 171001

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in, दूरभाष/Tel. 0177-2658285, फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: As mentioned in E-signature

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार

आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय

Diversion of 0.7649 ha of forest land in favour of M/s Manimahesh Enterprises, 123/6 Samkhetar Mandi, H.P. for the construction of 0.40 MW SHEP at Bithri, within the jurisdiction of Karsog Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (online Proposal No. FP/HP/ HYD /14396/2015)

सन्दर्भ:

नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) का पोर्टल पर अपलोड किया गया पत्र संख्या-HPFD-F05/141/2023- (एफ.सी.ए.) दिनांक 25.03.2025.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त प्रस्ताव की और दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें **वन(संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा- 2** के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.05.2018 द्वारा **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट नोडल अधिकारी-सह-एपीसीसीएफ (एफसीए) पत्रांक HPFD-F05/141/2023- (एफ.सी.ए.) दिनांक 25.03.2025 (**ऑनलाइन पोर्टल**) को प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य 0.7649 **हेक्टेयर** वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती हैं:-

- वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **1 हे० (765 पौधों) के पौधारोपण का कार्य Survey No. D-136 Parlog, Karsog Forest Range, Karsog Forest Division, Himachal Pradesh** पर सीए किया जाएगा और वन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।
- राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, ई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- CEO, State CAMPA, इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
- DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF&CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित CA Sites को नहीं बदलेंगे।

- ix. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- x. **No Objection Certificate from the competent authority with reference to the CIA/CCS studies (Impact Assessment) of River Beas and its recommendations shall be obtained by the State Government along with any other environment related compliance/clearance.**
- xi. **The State Government shall ensure that the carrying capacity of the river basin does not exceed the limit, as recommended and approved by the competent authority**
- xii. **The State Government shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of the all Rules, Regulation and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.**
- xiii. **The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency of the project life, whichever is less.**
- xiv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- xv. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- xvi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह-समाप्ति होगी।
- xvii. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।
- xviii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
- xix. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- xx. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- xxi. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- xxii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xxiii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xxiv. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
- xxv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xxvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xxvii. **The State Government/User Agency shall ensure adherence to stipulated E-flow as recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Hon'ble NGT, MoEF & CC, Govt. of India and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna.**

- xxviii. **Any other condition that the concerned Regional Office of this ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Government may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.**
- xxix. **The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office/Sub-office of the Ministry regularly.**
- xxx. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के बारे में जारी **Consolidated Guidelines** में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
- xxxi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxxii. **This approval is subject to the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 and 04.03.2025.**

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,

Sd/-

(राजा राम सिंह)

उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: ramesh.pandey@nic.in).
- नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalcahp@yahoo.com).
- वन मण्डल अधिकारी, करसोग वन मण्डल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (E-mail: head-fordivkar-hp@hp.gov.in).
- मैसर्स मणिमहेश इंटरप्राइजेज 123/6 समखेतर मंडी हिमाचल प्रदेश (E-mail: manimahesh.group@gmail.com)